भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1822

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

1822. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने प्रतिशत राजमार्गों की तत्काल मरम्मत अथवा उन्नयन की आवश्यकता है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए निर्धारित निधि के कम उपयोग के कारणों सहित तत्संबंधी आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव अथवा सुधार कार्य किया गया है;

(घ) रखरखाव संबंधी लंबित मामलों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यनीतियां हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थायित्व को बढ़ाने और उनके रख-रखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए उपयोग की जा रही अथवा उपयोग की जाने वाली नवीन प्रौद्योगिकियों अथवा पद्धतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क की 1,46,195 किलोमीटर लंबाई में से, लगभग 816 किलोमीटर लंबाई में क्षति की सूचना मिली है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी विभिन्न निष्पादन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आवंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

		राशि करोड़ रुपये में
वर्ष	आवंटन	व्यय
2019-20	3,418	3,011
2020-21	5,948	5,948

2021-22	5,214	5,135
2022-23	6,510	6,278
2023-24	6,581	6,523

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सभी प्रकार के रखरखाव और मरम्मत कार्यों के तहत अनुरक्षण /मरम्मत/ सुधार किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

(घ) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अनुबंध दिए गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/ रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही/ संविदाकारों की है। इसी तरह, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) के तहत निर्मित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

(ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थायित्व बढ़ाने और रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए नवीन तकनीकों या विधियों को अपनाने (वर्षा, भूभाग के प्रकार, मिट्टी की श्रेणी आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है) को प्रोत्साहित करता है। ऐसी नवीन तकनीकों या विधियों में सबग्रेड का स्थिरीकरण, सब-बेस/बेस में जियोसिंथेटिक प्रबलित परत/ परतें, कंक्रीट की सड़कें/व्हाइटटॉपिंग, स्थायी फुटपाथ, हाई परफॉरमेंस बिटुमिनस मिक्स, संशोधित बिटुमेन/बिटुमिनस मिक्स, फाइबर प्रबलित कंक्रीट, सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स, इंटेलिजेंट कंपेक्शन आदि शामिल हैं।

अनुबंध

'राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव' के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी प्रकार के रखरखाव और मरम्मत कार्यों के तहत अनुरक्षण /मरम्मत/सुधार किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

						लम्बाई किमी में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	2,757	3,073	2,950	3,257	2,757
2	अरुणाचल प्रदेश	0	88	116	174	0
3	असम	575	727	670	749	575
4	बिहार	309	464	489	361	309
5	छत्तीसगढ	20	89	144	53	20
6	गोवा	13	13	13	50	13
7	गुजरात	2,998	3,092	3,130	3,429	2,998
8	हरियाणा	716	830	1,227	1,706	716
9	हिमाचल प्रदेश	370	488	471	500	370
10	झारखंड	435	776	782	818	435
11	कर्नाटक	2,021	1,881	1,753	1,627	2,021
12	केरल	119	216	123	184	119
13	मध्य प्रदेश	1,371	1,412	1,513	1,680	1,371
14	महाराष्ट्र	1,102	1,382	1,467	1,724	1,102
15	मणिपुर	420	381	461	430	420
16	मेघालय	47	73	40	232	47
17	मिजोरम	53	279	423	17	53
18	नागालैंड	63	159	83	84	63
19	ओडिशा	86	416	659	880	86
20	पंजाब	562	972	1,083	1,538	562
21	राजस्थान	2,344	2,910	3,106	3,300	2,344
22	सिक्किम	31	97	28	28	31
23	तमिलनाडु	869	820	941	1,329	869
24	तेलंगाना	563	943	889	1,270	563
25	त्रिपुरा	185	432	343	337	185
26	उत्तर प्रदेश	2,460	2,644	3,021	3,953	2,460
27	उत्तराखंड	218	407	739	718	218
28	पश्चिम बंगाल	231	134	218	95	231
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	36	43	11	94	90
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	49	49	49	49	12
31	जम्मू और कश्मीर	429	429	454	334	428
	कुल	**21,450**	**25,721**	**27,393**	**31,002**	**36,503**

*****